



क्रमांक 386 / बै.प्र. / स्थायी समिति / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 03/10/2022

॥ कार्यालयीय ज्ञाप ॥

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, की धारा 29 एवं परिनियम क्रमांक-38 के तहत निर्मित विनियम के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय द्वारा निम्नांकित विद्यापीठ के अधिष्ठाता का नामांकन विद्यापरिषद की स्थायी समिति में सदस्य के रूप में किया गया है :-

01. विधि विद्यापीठ - प्रो० मनीष श्रीवास्तव, आचार्य, आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग

के स्थान पर

प्रो० एम.एन. त्रिपाठी, आचार्य, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिकी विभाग

उपरोक्त दोनों सदस्यों का कार्यकाल संकायाध्यक्ष के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 387 / बै.प्र. / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 03/10/2022

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. उपरोक्त विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
04. विद्यापरिषद की स्थायी समिति के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव (कार्यवाहक)